

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (N-300) अलेसे-1/1491

दिनांक:- 09/01/26

संशोधन आदेश

विभागीय आदेश संख्या 1141 दिनांक 03.11.2025 में अंकित दोहरा कार्यभत्ता अवधि
"दिनांक 31.01.2025 से 02.06.2025" के स्थान पर" दिनांक "31.01.2025 से 02.07.2025"
पढ़ा जावें।

(लखपत मीना)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)

क्रमांक:- एफ.2 (क) (N-300) अलेसे-1/1491

दिनांक:- 09/01/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. पुलिस अधीक्षक, चुरू।
2. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, चुरू।
3. श्री नरेश कुमार चांवरिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, चुरू।
4. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. निजी / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)